[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

शिक्षा-आरक्षण-राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एन. ई. ई. टी.)-अखिल भारतीय कोटा (ए. आई. क्यू.) सीटों में ओ. बी. सी. (गैर-क्रीमी लेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई. डब्ल्यू. एस.) श्रेणियों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए नोटिस जारी किया गया-आयोजित करने की चुनौतीःएन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 के लिए ओ. एम. 2019 द्वारा अधिसूचित ई. डब्ल्यू. एस. मानदंडों की प्रयोज्यता पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश आवश्यक है-एन. ई. ई. टी.-पी. जी. और एन. ई. ई. टी.-यू. जी. में ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा गया है-एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 और एन. ई. ई. टी.-यू. जी. 2021 के आधार पर परामर्श नोटिस द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण को प्रभावी बनाकर आयोजित किया जाए, जिसमें ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और ए. आई. क्यू. सीटों में ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल है-इसके अलावा, पांडे समिति (ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान करने के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित) की सिफारिश कि ओ. एम. 2019 में निर्धारित मानदंडों का उपयोग 2021-2022 के लिए किया जाए-ई. डब्ल्यू. एस. के निर्धारण के लिए मानदंड स्वीकार किए गए हैं।

/

/

/

/

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 961।

/

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

2021 की लिखित याचिका (सी) संख्या 967,1002,1021 और 1105।

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., वी. कृष्णमूर्ति ए. जी., अरविंद दातार, श्याम दीवान, पी. विल्सन, ए.

/

970

971

नील ऑरेलियो नून्स बनाम भारत संघ ए

/

मरियारपुथम, आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, डॉ. चारू माथुर, संजय कुमार दुबे, राहुल उन्नीकृष्णन, मलक भट्ट, विवेक सिंह, श्रीरंग चौधरी, सुबोध एस. पाटिल, चैतन्य देशपांडे, सुश्री सुप्रिया पाटिल, कानू अग्रवाल, अपूर्व कुरुप, वत्सल जोशी, शैलेश मडियाल, सुगोश सुब्रमण्यम, अमरीश कुमार, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, विकास बंसल, गुरमीत सिंह मक्कर, गौरव शर्मा, कीर्तिमान सिंह, वाइज़ अली नूर, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, सुश्री श्रीरूप नाग, ताहा यासीन, आर. नेदुमारन, सुश्री चंद्र प्रिया सी., मुकेश लाठेर,उपस्थित पक्षकारों के लिए।

/

/

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

/

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाओं के इस समूह में एक नोटिस को चुनौती दी गई है जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा 29 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। यह नोटिस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 5 के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग 1 (गैर-क्रीमी लेयर) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, 15 प्रतिशत स्नातक और 50 प्रतिशत स्नातकोत्तर 3 अखिल भारतीय कोटा 4 सीटों को भरने के लिए लागू करता है।यह सूचना वर्तमान प्रवेश वर्ष 2021-2022 से प्रभावी होती है।याचिकाकर्ता वे डॉक्टर हैं जो एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 परीक्षा में उपस्थित हुए थे।2. 29 जुलाई 2021 के नोटिस की वैधता को चुनौती देने के लिए 24 अगस्त 2021 को याचिकाएं दायर की गई थीं। इस न्यायालय द्वारा 6 सितंबर

2021 को नोटिस जारी किया गया था। एन. ई. ई. टी.-पी. जी. परिणाम 28 सितंबर 2021 को घोषित किए गए थे। 7 अक्टूबर 2021 को आंशिक रूप से दलीलें सुनी गईं। यह तर्क दिया गया कि ओ. बी. सी. के लिए कोई आरक्षण नहीं हो सकता और

/

/

/

1 “ओ. बी. सी. "2" ई. डब्ल्यू. एस ". 3" पीजी "4" ए. आई. क्यू "5" एन. ई. ई. टी ".

/

एन. ई. ई. टी.-पी. जी. में ए. आई. क्यू. सीटों में ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी और ओ. एम. 36039/1/2019 6 द्वारा अधिसूचित ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के मानदंड असंवैधानिक थे।21 अक्टूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान करने के लिए आय सीमा में कटौती के रूप में 8 लाख रुपये का उपयोग करने के लिए 2019 के ओ. एम. द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। केंद्र सरकार को इस संबंध में शपथपत्र दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था।जब 21 अक्टूबर 2021 को बैच को सुनवाई के लिए लिया गया था, तो केंद्र सरकार ने शपथपत्र दाखिल नहीं किया था।एएसजी, श्री के. एम. नटराज ने इस न्यायालय को सूचित किया कि दो दिनों के भीतर एक शपथपत्र दायर किया जाएगा।21 अक्टूबर 2021 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने तब ऐसे मुद्दे तैयार किए जिनमें केंद्र सरकार को ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों को अपनाने के लिए तर्क का खुलासा करने की आवश्यकता थी। 25 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने याचिकाओं के लंबित होने के कारण अपनी मर्जी से परामर्श को स्थगित कर दिया।इसके बाद, केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर 2021 को ईडब्ल्यूएस मानदंडों को उचित ठहराते हुए एक शपथपत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सभी संबंधित हितधारकों के भीतर उचित विचार-विमर्श के बाद मानदंडों को अपनाया गया था।3. जब मामला 28 अक्टूबर 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, तो सॉलिसिटर जनरल ने स्थगन की मांग की और अनुरोध किया कि याचिकाओं पर सुनवाई दिवाली के बाद की जाए।25 नवंबर 2021 को, इस न्यायालय को सॉलिसिटर जनरल द्वारा सूचित किया गया था कि केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के मानदंडों पर पुनर्विचार करने के लिए एक सुविचारित निर्णय लिया है और इस

अभ्यास को पूरा करने के लिए चार सप्ताह का अनुरोध किया है, जिसे इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के मानदंडों की समीक्षा के लिए 30 नवंबर 2021 को एक समिति का गठन किया। समिति ने 31 दिसंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।इसके बाद, केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक शपथपत्र दायर किया, जिसमें यह सिफारिश भी शामिल थी कि ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए मौजूदा मानदंडों को वर्तमान प्रवेश वर्ष 2021-2022 के लिए बनाए रखा जाए।

/

/

/

/

/

4. सॉलिसिटर जनरल द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इस न्यायालय द्वारा 5 जनवरी 2022 को याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के लिए विचार किया गया था।केंद्र सरकार की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि 2021 के वर्तमान प्रवेश वर्ष के लिए ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण (ओ. एम. 2019 के अनुसार पुराने मानदंडों के साथ) को लागू करने की अनुज्ञात जाए।

/

6 “ओम 2019 "

7 “पांडे समिति "

/

/

5. हमने श्री अरविंद दातार, श्री श्याम दीवान और श्री आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ वकील और श्री श्रीरंग चौधरी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, श्री अपूर्व करोल, श्री सुबोध पाटिल और श्री वरुण ठाकुर को डॉक्टरों और हस्तक्षेप करने वालों के लिए सुना है जो ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों के लिए आरक्षण की वैधता को चुनौती दे रहे हैं।दूसरी ओर, हमने सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री नटराज, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लिए श्री पी विल्सन, तमिलनाडु राज्य के लिए श्री मरियारपुथम और हस्तक्षेप करने वालों के लिए श्री बीजू और श्री शशांक रत्नू को सुना।

/

6. दो दिनों की अवधि में इस न्यायालय के समक्ष जिन प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया है, वे एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 के लिए ओ. एम. 2019 द्वारा अधिसूचित ई. डब्ल्यू. एस. मानदंडों की प्रयोज्यता पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है।ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण पर अंतरिम आदेश में कारणों को तैयार करने में कुछ समय लगेगा।एन. ई. ई. टी.-पी. जी. और एन. ई. ई. टी.-यू. जी. में ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की वैधता को निम्नलिखित कारणों से बरकरार रखा गया है।इस बीच, परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है।इसलिए हम इस स्तर पर निम्नलिखित परिचालन निर्देश जारी कर रहे हैं:

/

/

7. (i) हम पांडे समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हैं कि OM 2019 में निर्धारित मानदंडों का उपयोग 2021-2022 के लिए किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवेश प्रक्रिया अव्यवस्थित न हो;

/

(ii) एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 और एन. ई. ई. टी.-यू. जी. 2021 के आधार पर परामर्श 29 जुलाई 2021 के नोटिस द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण को प्रभावी बनाकर आयोजित किया जाएगा, जिसमें ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और ए. आई. क्यू. सीटों में ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल है।

/

(iii) ओ. एम. 2019 द्वारा अधिसूचित ई. डब्ल्यू. एस. के निर्धारण के मानदंड का उपयोग एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 और एन. ई. ई. टी.-यू. जी. 2021 परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान करने के लिए किया जाएगा।

/

(iv) ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान के लिए पांडे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की वैधता भविष्य के लिए याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगी; और

/

(v) याचिकाओं को मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में पांडे समिति द्वारा अनुशंसित ईडब्ल्यूएस मानदंडों की वैधता पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

8. कारणों का पालन किया जाएगा।

/

दिव्या पांडे

निर्देश जारी किए गए।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/